



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष-2022 में थाना अतर्रा क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामले में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 08.08.2022 को थाना अतर्रा पर एक महिला ने अपनी पुत्री को थाना मटौंध क्षेत्र के दुरेडी निवासी वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्द्रा पुत्र बबलू द्वारा दिनांक 10.07.2022 को भगा ले जाने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अतर्रा श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान व मेडिकल परीक्षण उपरांत प्रभावी विवेचना करते हुए सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता व श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्नर आरक्षी अमित कुमार पैरोकार आरक्षी अभिजीत के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा धारा 363/366/504 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्द्रा पुत्र बबलू निवासी दुरेडी थाना मटौंध जनपद बांदा ।